(3)

उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला

(विधि शाखा)

म्यूटेशन रिवीजन (Mutation Revision)वाद सं0 :–06/2023–24

प्रदीप कुमार साहु वगै0
बनाम
बजरंग बली साहु वगै0

अपीलार्थी 1. श्री प्रदीप कुमार साहु पिता–स्व0 जगदीश साहु 2. रितेश कुमार पिता–स्व0 किशुन साहु दोनों ग्राम–नवागढ़ पतराटोली थाना–रायडीह जिला–गुमला के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला के दाखिल खारिज वाद सं0–48/2019–20 दिनांक–07.04.2022 में पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में रिवीजन दाखिल किया गया है। उनके द्वारा उक्त रिवीजन वाद में 1. बजरंग बली साहु 2. विजय कुमार साहु 3. अजय साहु तीनों के पिता–स्व0 सोहराय साहु ग्राम–पतराटोली थाना–रायडीह जिला–गुमला को पक्षकार बनाया गया है।

अपीलार्थी के Mutation Revision पर सुनवाई प्रारंभ करते हुए उनके पक्ष को सुना गया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि विवादित भूमि रायडीह अंचल अन्तर्गत मौजा–नवागढ़ पतराटोली थाना–रायडीह जिला–गुमला के खाता सं0–41 प्लॉट सं0–1721 रकबा–0.42 एवं खाता सं0–131 प्लॉट सं0–1781 रकबा–0.87 कुल रकबा–1.29 एकड़ भूमि से संबंधित है।

अभिलेख में संलग्न दस्तावेज के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि एक ही वंशजों की खरीदगी भूमि है। निम्न न्यायालय द्वारा अपीलार्थी श्री प्रदीप कुमार साहु पिता–स्व0 जगदीश साहु एवं रितेश कुमार पिता–स्व0 किशुन साहु को पक्षकार नही बनाया गया है और न ही नोटिस निर्गत किया है, जो विधिसम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः निम्न अपीलीय न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि उभय पक्षों को खास नोटिस निर्गत कर Due to process का पालन करते हुए वाद सुनवाई हेतु Remand किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

30.05.23
उपायुक्त,
गुमला

30.05.23
उपायुक्त,
गुमला

Digitally signed by SUSHANT GAURAV
Date: 2023.07.27 15:51:53 +05:30
Location: 192.168.5.110

Scanned with OKEN Scanner